



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11022025-260886  
CG-MH-E-11022025-260886

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]  
No. 103]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/माघ 21, 1946  
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक  
(विदेशी मुद्रा विभाग)  
(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

सुबई, 4 फरवरी, 2025

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025**

सं. फेमा 14(आर)(1)/2025-आरबी —विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2023 (दिनांक 20 दिसंबर 2023 की अधिसूचना सं. फेमा 14(आर)/2023-आरबी) (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:
  - यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2025 कहलाएगी।
  - यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
- विनियम 3 में संशोधन:

मूल विनियमावली में, विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खंड (I) के उपखंड (क) के मद (ii) को, परंतुक सहित, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) नेपाल और भूटान को छोड़कर एसीयू के सदस्य देश - एक भागीदार देश के क्षेत्र में निवासी से किसी अन्य भागीदार देश के क्षेत्र में निवासी को भुगतान के संबंध में एसीयू तंत्र के माध्यम से अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत व्यापारियों को जारी किए गए निदेशों के अनुसार। अन्य सभी लेन-देन के लिए, प्राप्ति और भुगतान नीचे (iii) में विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाए।”

डॉ. आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./960/2024-25]

**फुट नोट:** मूल विनियमावली को दिनांक 20 दिसंबर 2023 (21 दिसंबर 2023 को प्रकाशित) के सरकारी राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या फेमा 14(आर)/2023-आरबी के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

**RESERVE BANK OF INDIA**

**(Foreign Exchange Department)**

**(CENTRAL OFFICE)**

**NOTIFICATION**

Mumbai , the 4th February, 2025

**Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2025**

**No. FEMA 14(R)(1)/2025-RB**—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2023 (Notification No. FEMA 14 (R)/2023-RB dated December 20, 2023) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:-

**1. Short title and commencement:**

- (i) These regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2025.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment to Regulation 3:**

In the Principal Regulations, in regulation 3, in sub-regulation (2), in clause (I), in sub-clause (a), for the item (ii) along with its proviso, the following shall be substituted, namely: -

“(ii) Member countries of ACU, other than Nepal and Bhutan – In respect of payments from a resident in the territory of one participant country to a resident in the territory of another participant country, through ACU mechanism, or as per the directions issued by the Reserve Bank to authorised dealers from time to time. For all other transactions, receipt and payment may be made in a manner as specified at (iii) below.”

**Dr. ADITYA GAIHA, Chief General Manager-in-Charge**

[ADVT.-III/4/Exy./960/2024-25]

**Foot Note:** The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide Notification No. FEMA 14(R)/2023-RB dated December 20, 2023 (published on December 21, 2023) in Part III, Section 4